



INDIRA GANDHI UNIVERSITY, MEERPUR, REWARI

(A State University Established under Haryana Act No. 29 of 2013)

क्रमांक : IGU/Gen./2016/ 675

दिनांक : 14 जनवरी, 2016

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर (रेवाड़ी) को कैन्टीन का ठेका देना है। इच्छुक व्यक्ति किराये का अधिकतम रेट लिखित रूप में सील बन्द लिफाफे में दिनांक 20 जनवरी, 2016 सायं 4 बजे तक रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करा दें। अन्य शर्तों के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.igu.ac.in) देखें।

कुलसचिव



कैन्टीन ठेकेदार के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी

1. कैन्टीन का ठेका लेने के इच्छुक ठेकेदार अपनी निविदा रजिस्ट्रार, इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर (रिवाड़ी) के नाम पर सील बन्द लिफाफे में दिनांक 20 जनवरी 2016, सायं 4 बजे तक भेजें।
2. कैन्टीन एक वर्ष के लिए लीज पर दी जायेगी। यदि लीज में अगले एक वर्ष की बढ़ोतरी संतोषजनक कार्य एवं कमेटी के अनुमोदन पर होती है तो किराये में वृद्धि बाद में तय की जायेगी।
3. लिफाफे पर “कैन्टीन के लिए निविदा” शब्द लिखा होना चाहिए।
4. कैन्टीन ठेकेदार को सरकारी/गैर सरकारी (रजिस्टर्ड) संस्थान में कैन्टीन चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।
5. कैन्टीन ठेकेदार को सिक्यूरिटी (प्रतिभूति) के रूप में दो लाख रुपये का ड्राफ्ट निविदा के साथ जमा कराना होगा। प्रतिभूति पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
6. कैन्टीन ठेकेदार को निविदा फीस के रूप में 5000/- रुपये का ड्राफ्ट निविदा के साथ लगाना होगा। दोनों ड्राफ्ट रजिस्ट्रार, इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर (रिवाड़ी) के नाम होगा।
7. निविदा कर्ता को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र देना होगा कि उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं है।
8. विश्वविद्यालय कैन्टीन का न्यूनतम किराया रुपये 15000/- प्रतिमाह आरक्षित होगा। ठेकेदार को हर महीने का निर्धारित किराया अग्रिम रूप में प्रत्येक मास की 10 तारीख तक जमा कराना होगा, अन्यथा उसे 100 रु. प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा।
9. कैन्टीन के बिजली - पानी का बिल हर महीने अलग से जमा कराना होगा। पानी का बिल रु 500/- प्रतिमाह होगा और बिजली का बिल मीटर के अनुसार देय होगा।
10. ठेकेदार को निविदा के साथ अपना पहचान पत्र (ID Proof) लगाना अनिवार्य होगा।
11. विद्यार्थियों एवम् अन्य स्टाफ सदस्यों को उधार दिये गये सामान के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

12. कैन्टीन में बेचे जाने वाले सामान के रेट विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए कैन्टीन कमेटी द्वारा निर्धारित किए गये हैं, जो निम्नलिखित हैं:

क्रमांक	मद	रेट	मात्रा
i.	चाय	7 रु	100 मिली लीटर
ii.	काँफी	10 रु	100 मिली लीटर
iii.	लस्सी दही की (मिठी)	20 रु	250 ग्राम
iv.	समोसा / कचोरी / ब्रेड पकोड़ा (हरी धनिया, पोदीना, मीठी चटनी के साथ)	8 रु	100 ग्राम
v.	समोसा / कचोरी / ब्रेड पकोड़ा (छोले/आलू की सब्जी व प्याज के साथ)	12 रु	150 ग्राम
vi.	मट्ठी	5 रु	50 ग्राम
vii.	मटर नमकीन	5 रु	50 ग्राम
viii.	भुजिया	6 रु	50 ग्राम
ix.	प्लेन डोसा (सांभर के साथ)	25 रु	
x.	मसाला डोसा	30 रु	
xi.	इटली सांभर (दो पीस)	20 रु	
xii.	सांभर बडा (दो पीस)	20 रु	
xiii.	लड्डू बेसन	8 रु	50 ग्राम
xiv.	वालू शाही	8 रु	50 ग्राम
xv.	चाऊमिन	20 रु	प्रति प्लेट
xvi.	वेजिटेबल पराठा (दो), दही (150 ग्राम)	30 रु	
xvii.	साधारण खाना (एक दाल, एक सीजनल सब्जी, सलाद, अचार, चार चपाती या चावल और दो चपाती)	40 रु	प्रति थाली

क्रमांक	मद	रेट	मात्रा
xviii.	स्पेशल थाली (एक दाल, एक सब्जी, रायता, चार चपाती, चटनी, सलाद, अचार, स्वीट डिश के साथ)	60 रु	प्रति थाली
xix.	स्वदेशी शीतल पेय (वीटा/अमूल दूध, लस्सी, फ्रूट जूस)	प्रिंट रेट पर	
xx.	बिस्कुट	प्रिंट रेट पर	
xxi.	फल (अपूव्ड बाई कैंटीन कमेटी)	बाजार रेट पर	
xxii.	फ्रेस फ्रूट जूस (अपूव्ड बाई कैंटीन कमेटी)	बाजार रेट पर	
xxiii.	फ्रूट चाट	20 रु	250 ग्राम

13. कैंटीन कमेटी के प्रभारी से अपूव कराकर कैंटीन में रेट-लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा।
14. कैंटीन कमेटी को अधिकार है कि वह परिस्थितियों के अनुसार ठेके के दौरान शर्तों को बदल सकती है।
15. कोई भी कैंटीन से सम्बन्धित कानूनी विवाद सिविल न्यायालय रेवाड़ी के अधिकार क्षेत्र में होगा।
16. कैंटीन कमेटी के अनुमोदन के बाद ही अन्य कोई खाद्य सामग्री बेची जा सकती है।
17. कैंटीन का ठेका एक वर्ष के लिए होगा। ठेकेदार ISI मार्क रिफाइन्ड तेल प्रयोग करेगा।
18. यदि ठेकेदार के द्वारा उक्त शर्तों में कोई अनियमितता की जाती है तो कैंटीन कमेटी के अनुमोदन पर कुलपति / कुलसचिव द्वारा कभी भी ठेका निरस्त किया जा सकता है। प्रतिभूति की अग्रिम राशि विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

विशेष नोट - कैंटीन परिसर में सफाई व स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना अनिवार्य है। भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान संकल्प को पूरा करने में सहयोग देना अनिवार्य है।

कुलसचिव